संख्या 19 /XXIV(6)/2010

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमाऊं विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 25 जनवरी, 2010

विषय वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या केयू/लेखा/आयोजनेत्तर/2009–10/1440 दिनांक 26,दिसम्बर 2009 एवं पत्र संख्या : केयू/लेखा/30अनुदान/2009–10/1467 दिनांक 11,जनवरी 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु **आयोजनेत्तर पक्ष** में कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल हेतु प्राविधानित धनराशि रुपये 11 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष में पूर्व में शासनादेश संख्या : 105/XXIV(6)/2009 दिनांक 28,अप्रैल 2009 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रुपये 2,46,37,000/–(रुपये दो करोड़ छियालीस लाख सैंतीस हजार मात्र) एवं द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या : 105/XXIV (6)/2009 दिनांक 21,अगस्त–2009 द्वारा रुपये 3,00,00,000/– (रुपये तीन करोड़ मात्र) तथा तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या : 105/XXIV (6)/2009 दिनांक 03,दिसम्बर–2009 द्वारा रुपये 2,50,00,000/–(रुपये दो करोड़ पचास लाख) इस प्रकार अब तक कुल रुपये 7,96,37,000/– अवमुक्त किए जा चुके हैं। इसी क्रम में चतुर्थ एवं अंतिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रुपये 03,03,63,000/– करोड़ (रुपये तीन करोड़ तीन लाख तिरेसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा । इस अनुदान के बिल पर जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपयोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो ।

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वेतन के साथ अनुमन्य हों, का ही भुगतान किया जायेगा ।** अन्य मदों में व्यय हेतु फाट स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा । अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

(4) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जीपीएफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा कराया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाये।

(5) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, मानदेय कार्यों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

(6) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनेत्तर–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–03–कुमाऊं विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 498(NP)/xxvii(3)/2010 दिनांक 22 जनवरी–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीया

(राधिका झा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 19 /XXIV(6)/2010 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी जिला नैनीताल।
3. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, देहरादून।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. निदेशक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पेदीराम)
अनु सचिव।